OUR PUBLICATIONS

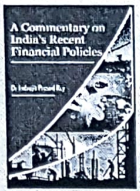

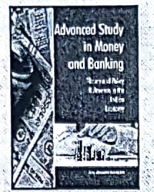

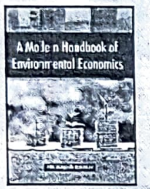

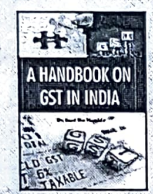

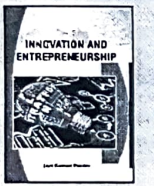

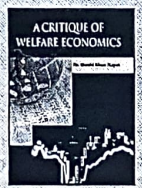

Globus Press
448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916

ISSN 0975-119X
UGC-CARE GROUP I LISTED
वर्ष 12 अंक 5 सितंबर-अक्टूबर 2020

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

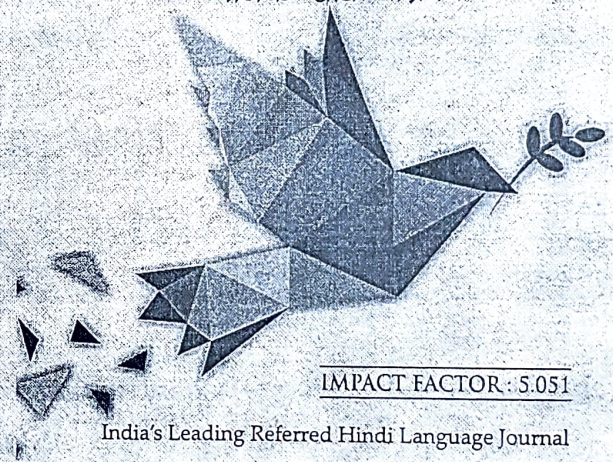

IMPACT FACTOR : 5.051

India's Leading Referred Hindi Language Journal

वर्ष : 12 अंक : 5 ❑ सितम्बर-अक्टूबर, 2020

दृष्टिकोण

संपादक मंडल

डॉ. अरुण अग्रवाल
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
डॉ. दया शंकर तिवारी
दिल्ली विश्वविद्यालय
डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. प्रकाश सिन्हा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
डॉ. दीपक त्यागी
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
डॉ. अरुण कुमार
रांची विश्वविद्यालय, रांची
डॉ. महेश कुमार सिंह
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
डॉ. पूनम सिंह
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
डॉ. एस. के. सिंह
पटना विश्वविद्यालय, पटना
डॉ. अनिल कुमार सिंह
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
डॉ. मिथिलेश्वर
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
डॉ. अमर कान्त सिंह
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
डॉ. ऋतेश भारद्वाज
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. स्वदेश सिंह
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. विजय प्रताप सिंह
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com

©Editorial India

Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

ISSN 0975-119X

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

इस अंक में

नवीन लोक प्रशासन : एक सामान्य अध्ययन–डॉ० अशोक कुमार 1
भारत में जनजातियों का वर्गीकरण विशेषत: झाखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के सन्दर्भ में–डॉ० राघवेन्द्र प्रसाद सिन्हा 5
भारत में भूमि सुधार : एक सामान्य अवलोकन–डॉ० धर्मेन्द्र धारी सिंह 9
स्वतन्त्रता आन्दोलन में बिहार की कुछ राष्ट्रवादी महिलाओं की जीवन उपलब्धि : एक ऐतिहासिक अवलोकन–अनीता कुमारी 13
भारत में महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन–दीपक कुमार दास 19
राष्ट् भर में वयस्क शिक्षा का महत्व–डॉ० मीता कुमारी 23
भारत में कृषि का विकास : पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में–डॉ० सुनील चन्द्र झा 30
मुक्त समाज व्यवस्था और सामाजिक न्याय: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० अभय कुमार 34
भारत और ब्रिक्स: आतंकवाद पर साझा दृष्टिकोण–डॉ० प्रमोद कुमार 39
लोकसभा चुनाव 2014 में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी–डॉ० विजया सिंह 43
भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ० निवेदिता 47
नेपाल में माओवादी आन्दोलन की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन–सुनीता प्रसाद 51
बैंकिंग क्षेत्र में उभरते रुझान तथा आधुनिक बैंकिंग–डॉ० कुंदन कुमार सिंह 55
लालदास कृत रमेश्वरचरित मिथिला रामायणमे मिथिलाक वर्णन–कुमकुम कुमारी 59
भूमिका-अनुसन्धान-आलोचनाक प्रणेता: प्रो० रमानाथ झा–डॉ० गोपाल कुमार 62
आधुनिक मैथिली साहित्य: धूमकेतु–साधना कुमारी 65
भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: एक अवलोकन–राजीव रंजन कुमार 67
माधवी में स्त्री अस्मिता का स्वरुप–सोनम सिंह 72
बुद्धिधर्मी का दायित्व और प्रेमचंद–शीतांशु 75
परमाराध्य : भगवान श्रीनाथजी का प्राकट्य वर्णन–डॉ० कांतिलाल यादव; शालिनी भट्ट 79
स्वामी विवेकानंद: सामाजिक विचारक के रूप में–डॉ० प्रतिमा गोंड 82
चन्द्रकिरण सौनरेक्सा की बाल कहानियाँ–डॉ० मिथिलेश कुमारी 87
भारतीय दर्शन में मानवतावादी दृष्टिकोण एवं इसकी प्रासंगिकता–प्रवीण कुमार यादव 90
दलित मानवतावादी: डॉ. अम्बेडकर–डॉ० शैलेन्द्र कुमार 93
साहित्य और पत्रकारिता के परिवर्तित मूल्य–डॉ० नलिनी सिंह 95
महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने में संचार माध्यमों की प्रभावशीलता का अध्ययन–डॉ० रीना चौरसिया 97
छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक द्वारा संचालित केसीसी योजना की प्रगति तथा शून्य ब्याज दर की ऋण वितरण राशि में प्रभावशीलता का अध्ययन–डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल; चुलेश्वर 101
प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के निर्धारण में तिथि निर्धारण की समस्या–डॉ० सुम्बुला फिरदौस 106
स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की नोमोफोबिक (Nomophobic) प्रवृत्ति के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन–नरेन्द्र कुमार; डॉ० अंजना 109
कौशल विकास मिशन: बेरोजगारी उन्मूलन का अस्त्र–डॉ० पंकज मिश्र 115
दिनकर की कविताओं में स्वाधीनता संघर्ष–प्रियंका शर्मा 118
डॉ० सिग्मंड फ्रायड के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का भारतीय परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक अध्ययन–डॉ० सरिता शर्मा; रवीश कुमार 122
पूर्वांञ्चल क्षेत्र के बाल श्रमिकों की शिक्षा : समस्या एवं समाधान के संदर्भ में एक अध्ययन–आलोक कुमार श्रीवास्तव; डॉ० सुधांशु सिन्हा 127
तख्त श्री केसगढ़ साहिब: ऐतिहासिक प्रसंग–नवजोत सिंह 131
प्राथमिक शिक्षकों के दायित्वबोध का अध्ययन–डॉ० समर बहादुर सिंह 135

अध्यापक एवं सूचना संचार एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी: बिलासपुर जिले के छात्राध्यापकों के संदर्भ में एक अध्ययन– विद्याभूषण शर्मा; डॉ० संजीत कुमार साहू 934
जिला बिलासपुर के माध्यमिक विद्यालयों के सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर का अध्ययन–डॉ० विभा मिश्रा 938
अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद (प्रतीकांतरण) : विश्लेष्णात्मक अध्ययन–डॉ० हरप्रीत कौर 942
चीनी यात्रियों के विवरण में भारत की कृषि व्यवस्था–डॉ० अजय कुमार सिंह 947
हरियाणा संस्कृति में कलात्मक हवेलियाँ तथा बैठके–डॉ० कविता 950
साल्हावास हरियाणा के धार्मिक पराणिक भित्ति चित्र–प्रो. मीनाक्षी हुड्डा; मीनाक्षी 955
छाड़न में स्त्री विषयक चिंतन का रुप–शशि सुधा कुमारी 959
प्रेमचंद की कहानियों के आलोक में मानवाधिकार–डॉ० सिन्धु सुमन 961
सांख्यशास्त्र शिक्षा और विश्व की रचना–डॉ० दिनेश कुमार 965
बिहार में क्रांतिकारी किसान संघर्ष–डॉ० सीमा पटेल; मनोज कुमार यादव 969
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभाव एवं चुनौतियां–डॉ० विक्रम सिंह 972
भारतीय मजदूर वर्ग का उद्‌भव एवं विकास : एक अध्ययन–राहुल पाण्डेय; डॉ० सीमा पटेल 976
परास्नातक स्तर के नगरीय एंव ग्रामीण विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता का उनकी शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन –डॉ० प्रेमचन्द्र यादव; शिवाश्रेय यादव 979
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन–शक्ति सिंह 983
महर्षि पतंजली के योगसूत्र में वर्णित योग का स्वरूप एवं अवधारणा–डॉ० रेशमा सुलताना 986
ग्रामीण दलित महिलाओं के सशक्तिकरण में कल्याणकारी योजनाओं का योगदान–रबिन्द्र कुमार 990
माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत एवं विद्यालय त्याज्य विद्यार्थियों के मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन–राकेश कुमार 993
भारतीय संस्कृति एवं संस्कार के मनोवैज्ञानिक पक्ष–मनीष कांत 997
बिलासपुर के झुग्गी बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के आर्थिक स्थिति का अध्ययन–कु० आरती तिर्की; डॉ० ऋचा यादव 1002
अध्यापक की जिजीविषा एवं अस्मिता की नीलामी का साक्ष्य: दीक्षान्त–डॉ. पूजा शर्मा 1005
भारत में पंचायती राज व 'ग्राम सभा' की भूमिका–बृजेन्द्र कुमार मिश्र 1008
यौन स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता–डॉ० बृजेश कुमार पाण्डेय 1011
आधुनिक विचारकों के नारीवादी विचारों का एक अध्ययन–डॉ० वाय० एम० साळुंके ✓ 1014

आधुनिक विचारकों के नारीवादी विचारों का एक अध्ययन

डॉ० वाय० एम० साळुंके

सहयोगी प्राध्यापक, के.आर. टी. आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज वणी, जि. नासिक, महाराष्ट्र

प्रारंभिक फ्रांसीसी समाजवाद के अग्रदूत सेंट साइमन ने बड़ी और छोटी दोनों तरह की कई किताबें लिखीं। इससे उनके समाजवाद के विचार स्पष्ट होते हैं। 'न्यू क्रिश्चियनिटी' उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज की आर्थिक स्थिति समाज के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने फ्रांस के तत्कालीन राजा लुई अठारहवाँ को अपने समाज में सुधार करने के लिए एक योजना भेजी, अनुरोध किया कि इसे पूरा किया जाए। इससे पता चलता है कि उन्हें मौजूदा राज्य व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं थी। वर्ष 1830 में उनके अनुयायियों ने एक पत्रिका प्रकाशित किया जिसमें सायमन के विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। यह विचार उस समय प्रचलित था कि संपत्ति को समाज में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। साइमन के अनुसार, समाज के प्रत्येक व्यक्ति में प्राकृतिक असमानता होती है। इस असमानता के कारण ही मानव समाज अस्तित्व में आया है और सामाजिक व्यवस्था जीवित रही है। इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और श्रम के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। साइमन पंथ आगे कहता है, 'कुछ लोग कई अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज विरासत का अधिकार है, ऐसे लोगों को समाज में आनंद के सभी साधन मिलते हैं और अन्य लोग दुख में रहते हैं। भूमि, पूंजी और निजी संपत्ति को श्रमिकों के संयुक्त उद्यम को सौंप दिया जाना चाहिए और संस्थानों को इससे धन प्राप्त करना चाहिए। संगठन में सभी को इसके लिए योग्य होना चाहिए। साइमन ने निजी संपत्ति की प्रचलित पद्धति का अनुमोदन नहीं किया। क्योंकि यह कुछ लोगों को निष्क्रिय रहने और दूसरों के लिए काम करने का अपवित्र अधिकार देता है। दूसरा, समाज में व्यक्ति की स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। महिलाओं को समाज में निम्न दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी सामाजिक स्थिति के साथ-साथ समाज में प्रचलित धन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। ईसाई धर्म के अनुसार पुरुष को स्त्री से विवाह करना चाहिए। विवाह में स्त्री-पुरुष की स्थिति समान होनी चाहिए। पत्नी को उसके स्वाभाविक गुणों के अनुसार परिवार, राज्य और धर्म के क्षेत्र में पति की सहधर्मी होनी चाहिए। साइमन संप्रदाय विवाह की पवित्रता को आत्म-बलिदान और लालच, बुद्धि और अज्ञानता, युवावस्था और वयस्कता के अप्राकृतिक संयोजन के रूप में स्वीकार नहीं करता है।

समाज का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ के लिए उपयोगी कुछ का उत्पादन करना है। तो समाज में सभी उद्योगों का लक्ष्य ष्पारस्परिक सहायता से पृथ्वी से मानव निर्मित पदार्थ बनानाष् है। इस प्रकार साइमन ने समाज का ध्यान गरीबों की दुर्दशा की ओर खींचा। उन्होंने उपदेश दिया कि प्रचलित सरदारों और उपदेशकों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उत्पादन के साधनों को साझा किया जाना चाहिए। इस कार्य के कारण समाज ने आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया और समाजवाद का प्रसार हुआ। फूरियर ने साइमन के समाजवाद को और बढ़ाया। उनके अनुसार, मानव हृदय में सभी भावनाएँ और दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। मनुष्य अनजाने में निर्णय लेता है कि उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं और उनमें से कुछ को बढ़ाने और उनमें से कुछ को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। परिणामस्वरूप, मानव स्वभाव एकाकी और अपूर्ण हो गया और समाज में दुख फैल गया। इसलिए दुखों को मिटाने के लिए सभी मनुष्यों को बिना किसी मानवीय प्रवृत्ति को दबाए मनमाने ढंग से बढ़ने देना चाहिए। यह पूर्ण विकसित मनोवृत्ति हृदय में समरसता, शांति और प्रसन्नता का निर्माण करेगी।

फूरियर का विचार था कि समाज के पुनर्गठन के लिए समाज में फॅलॅग की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें स्वैच्छिक लेकिन पारस्परिक रूप से सहायक लोगों की एक टीम होगी। फलांग में 400 परिवार या 1,800 लोग रहेंगे। 7 से 9 लोगों का एक छोटा समुदाय होना चाहिए। 24 से 32 समुदायों की एक टीम होनी चाहिए। ऐसी 8 से 9 टीमें होंगी। उनके रहने के लिए एक भव्य, सुंदर, अच्छी तरह से सुसज्जित फॅलॅग हाउस बनाया जाना चाहिए। इसमें हर कोई अपनी मर्जी से एक साथ या समूहों में रहेगा। प्रत्येक फलांग आर्थिक रूप से स्वायत्त होना चाहिए, फलांग को अपनी जमीन पर खेती या अन्य व्यवसाय करना चाहिए। इसमें आधुनिक वैज्ञानिक खोजों का उपयोग होना चाहिए। हर किसी को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार काम दिया जाना चाहिए। इस तरह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था का सुखद संयोग होगा। फलांग में उत्पादित होने वाले सामान या सामग्री के बारे में फूरियर का कहना है कि जिनका काम नियमित और विशेष काम है उन्हें अधिक हिस्सा दिया जाना चाहिए, और सुखद काम करने वालों को कम हिस्सा दिया जाना चाहिए। निजी संपत्ति फलांग में ही रहनी चाहिए। आवश्यकतानुसार ब्याज लें। महिलाओं और बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार नौकरी दी जानी चाहिए। ऐसी फैलाने वाली टीमें सभी देशों से बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार फूरियर ने खेड़ेगांव या ग्राम संस्था के महत्व को बताया।

उदारवादी नारीवाद: सत्रहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया में कई परिवर्तन हुए। विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल में प्रगति और नए उपकरणों और वैज्ञानिक नियमों की खोज के मामले में तर्क को परंपरा से अधिक महत्व मिला। समाज में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। इस काल को विवेक का युग या जागरण का युग कहा जाता है। उसी समय, चर्च का पारंपरिक अधिकार हिल गया। राजा, राजनीतिक शक्ति और अधिकार में लोगों

के विश्वास को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों, तर्कसंगत सोच और सभी के लिए समान अवसर के विचार से बदल दिया गया था। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद औद्योगीकरण और शहरीकरण ने एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण किया। इस वर्ग ने चर्च या पोप के अधिकार के बजाय राजनीति में गरीबों और आम लोगों की भागीदारी पर राजा के दैवीय अधिकार पर जोर दिया। संक्षेप में, यह परंपरा पर तर्कसंगत मूल्यों की विजय थी। मानवतावाद का महत्व बढ़ रहा था। यह उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन सच्चाई यह थी कि समानता और न्याय के मूल्य केवल पुरुषों पर लागू होते थे। निम्न वर्ग की महिलाएं, पुरुष और महिलाएं और गुलाम राष्ट्रों के नागरिक इससे वंचित थे। उन्हें पूर्ण नागरिक नहीं माना जाता था। महिलाओं को मताधिकार और कानून में समानता से बहुत दूर रखा गया था। यह स्थिति उदारवाद के ठीक विपरीत थी। महिलाओं को समान नहीं मानने में पुरानी दार्शनिक बैठक का हाथ था। महिलाओं को उनके प्राकृतिक संविधान के कारण राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को कोमल, शर्मीली, आज्ञाकारी, भावुक माना जाता था और उनके विचार तर्कहीन थे। इसलिए उन्हें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए और उन्हें नागरिक बनाना चाहिए, लेकिन वे खुद नागरिक नहीं होने चाहिए।

जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह कहने वाले पहले व्यक्ति थे कि 'मानव जाति का यह आधा' पुरुषों के बराबर है। महिलाओं की प्रवृत्ति पर उनके विचार अलग थे। उन्होंने कई सामाजिक सुधार किए। बेंथम और मिल के प्रयासों से सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में महिलाओं की भागीदारी के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार तैयार किया गया था। दरअसल, ये चीजें महिलाओं ने बीसवीं सदी में हासिल की थीं। मैरी बोल्स्टन क्राफ्ट (१७५९-१७१७) ने घर की चार दीवारी तक सीमित महिलाओं के बारे में भ्रांतियों को दूर करने का काम किया। महिलाओं के अधिकारों की अपनी पुस्तक विन्डिकेशन ऑफ द राइट्स में, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत की। उन्होंने बच्चों के लिए एक आदर्श शिक्षा के रूस के विचार का खंडन किया। रूसो के अनुसार, बच्चों को विचार करने की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उन्हें देश का नागरिक बनना है तो लड़कियों को अपने पति को खुश रखने के लिए आज्ञाकारी, सदाचारी और सदाचारी बनना सीखना होगा। मैरी बोल्स्टन क्राफ्ट के अनुसार, महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का कोई तार्किक आधार नहीं है। महिलाओं की उपेक्षा करने से हीनता की भावना पैदा होती है।

मैरी बोल्स्टन क्राफ्ट की तरह हैरियट टेलर मिल (1807-1858) और जॉन स्टुअर्ट मिल (1806 से 1873) दोनों का यह विचार था कि महिलाओं के तथाकथित गुण उस सामाजिक वातावरण से निर्मित होते हैं जिसमें वे पली-बढ़ी हैं। उनकी तथाकथित कमजोरी, शर्म और तर्कहीन प्रकृति का कारण उनकी शिक्षा की कमी, पसंद की स्वतंत्रता की कमी, पुरुषों पर उनकी निर्भरता और उनकी दोषपूर्ण सामाजिक स्थिति है। उन्होंने उस समय समाज के सामने एक उग्र प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को अपने पति के शोषण से बचने के लिए कुछ आधार होना चाहिए। महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता की प्रचलित धारणाओं में शामिल करने का विचार उन्नीसवीं सदी के मध्य में उभरा। उस समय महिला मताधिकार आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। दूसरी ओर, इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के वोट देने के अधिकार के लिए एक आंदोलन चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक लोकतांत्रिक राज्य में महिलाओं को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। उदारवादी नारीवाद द्वारा सामने रखे गए विचारों और लक्ष्यों ने बाद के समय में उभरे नारीवाद के विश्लेषण का आधार बनाया। बाद के समय में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। विशेष विद्यालयों की स्थापना, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी, मजदूरी, काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन, महिला मताधिकार संगठन सभी आगे बढ़े। बच्चों की देखभाल में माता-पिता की भागीदारी, मातृत्व की सुरक्षा, उपेक्षित महिलाओं के विशेष उपचार आदि के विचार सामने आए। इसमें आगे रोजगार में समानता और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा शामिल थी। यह विचार सामने आया कि सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों और महिलाओं के बीच की खाई को पाटने के लिए महिलाओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता कानून, शैक्षिक उन्नति और सार्वजनिक सुधारों के माध्यम से प्राप्त होने की उम्मीद है।

यादृच्छिक नारीवाद पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दृढ़ता से खंडन करता है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था लिंगवाद को जन्म देती है और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान दर्जा देती है। विभिन्न संस्कृतियों में, पुरुषों को सकारात्मक, ऊर्जावान, आक्रामक, उद्देश्यपूर्ण, मजबूत गुण कहा जाता है। दूसरी ओर, महिलाओं को निष्क्रिय, भावुक, रहस्यमय, गैर जिम्मेदार, झगड़ालू, लकवाग्रस्त, जुनूनी और उत्पीड़ित माना जाता है। कट्टरपंथी नारीवाद का कहना है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा महिलाओं के गुणों का अवमूल्यन भी महिलाओं द्वारा स्वीकार किया गया है। कट्टरपंथी नारीवाद का उद्देश्य एक 'महिला संस्कृति' की स्थापना करना है जो मृत्यु के बजाय जीवन को महत्व देती है, पोषण करती है और इलाज करती है। महिलाओं के गुणों में भावनाओं की अभिव्यक्ति, नम्रता, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, प्रकृति से निकटता, कठोरता के बजाय लचीलापन आदि शामिल हैं। कट्टरपंथी नारीवाद के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की नकल नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी पारंपरिक संस्कृति के आधार पर नए मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। कट्टरपंथी नारीवाद उन पहलुओं का विरोध करता है जो महिलाओं को पंगु बना देते हैं - स्वयंसेवा, आत्म-बलिदान। रान्डेल नारीवाद का तर्क है कि पितृसत्ता महिलाओं को यौन वस्तुओं के रूप में मानती है और उन पर जबरन मातृत्व थोपती है। बहुत सी चीजों को चुनने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को है। महिला लेखक केट मिलेट, कैथलीन बेरी, रॉबिन मॉर्गन, कैथरीन मैककिनोन और एंड्रयू रिच सभी ने पोर्नोग्राफी और महिलाओं के अवमूल्यन का कड़ा विरोध किया। शार्लोट बंच ने कहा कि महिलाओं को विवाह की पितृसत्तात्मक संस्था को खारिज करके समलैंगिकता को स्वीकार करना चाहिए। वह सोचती है कि यह उसे पुरुष वर्चस्व से मुक्त कर देगा। दैनिक जीवन में संबंधों के पुनर्गठन के लिए महिलाओं को एक व्यापक विश्वदृष्टि को अपनाना चाहिए और एक नए संगठन का निर्माण करना चाहिए। पश्चिमी देश में कई संगठन हैं जिनमें महिला स्वास्थ्य केंद्र, महिला शिक्षा परियोजनाएं, पीढ़ियां शामिल हैं।

मार्क्सवादी/समाजवादी नारीवाद: समाजवादी नारीवाद पूंजीवाद और पितृसत्ता को मजबूत करने में विश्वास करता है। पुरुषों के वर्चस्व वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था पहले अस्तित्व में आती है और फिर पूंजीवाद को बढ़ावा देकर इसे मजबूत किया जाता है। प्राचीन काल में घर कृषि के साथ-साथ उत्पादन का स्थान था। इसमें घर के सभी सदस्य सामान बनाकर बाजार में बेचते थे। औद्योगिक पूँजीवाद के आगमन के साथ ही घर के बाहर कारखानों में माल का उत्पादन होने लगा। 1400 और 1900 के दशक में इंग्लैंड में प्रारंभिक औद्योगीकरण शुरू हुआ। उन दिनों, महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी कारखानों

में काम करने जाते थे। धीरे-धीरे उत्पादन के नए तरीके विकसित हुए और महिलाएं और बच्चे उत्पादन के तरीके से दूर हो गए। विचार आया कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और अपने पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और पुरुषों को पैसा कमाना चाहिए। घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं अंशकालिक और कम वेतन वाली थीं। एक धारणा है कि पुरुष वास्तविक धन कमाते हैं और महिलाओं की आय पूरक है। मार्क्स के अनुसार, श्रम शक्ति प्रजनन द्वारा मजदूरी अर्जित करती है। इस मजदूरी का उपयोग श्रम बाजार से भोजन और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। समाजवादी नारीवाद का कहना है कि श्रम शक्ति का पुनरुत्पादन जोरों पर है। एक कार्यकर्ता बाहर तभी काम कर सकता है जब उसकी पत्नी घर और घर के अन्य कामों में भोजन तैयार करे जिसमें बच्चों और बुजुर्गों की परवरिश भी शामिल है। घरेलू श्रम अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर पर उत्पन्न श्रम शक्ति का संबंध दिन-प्रतिदिन के साथ-साथ पीढ़ीगत स्तर से भी है। समाजवादी नारीवाद का मानना है कि विवाह परजीवीवाद का एक रूप है। विवाहित महिलाओं में संतान के जन्म और उनके पालन-पोषण से असंतोष देखा जाता है। क्योंकि कई मामलों में उन्हें निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है। घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

फ्रांसो-मैरी चार्ल्स फुरीए के विचार प्रसिद्ध समाजवादी विचारक फूरिए ने महिलाओं के लिए परिवर्तन का एक युग बनाया। नारी मुक्ति को सामाजिक प्रगति माना गया। सामूहिक आधार पर बच्चों की देखभाल के लिए नियम बनाए गए। शुरुआत में समाजवाद की तरह, फुरीए व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्धा समाज के बजाय सहकारी समाज के पक्ष में अपनी राय दर्ज करते हैं। फ्यूरी के अनुसार, सरकारी उत्पादन अधिक कुशल होना चाहिए। इससे सभी को खुशी मिलेगी। इससे सभी में समान कार्य पाने की भावनात्मक शक्ति बढ़ेगी। फुरीए का मानना था कि भावनात्मक कानून सभी समाजों में प्रेरणा और एकता का स्रोत होगा। दोस्ती, महत्वाकांक्षा, प्यार और पालन-पोषण के विचार एक भावनात्मक संबंध बनाते हैं, दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए समाज में एक आदर्श समुदाय का निर्माण करते हैं और समाज में एकता का निर्माण करते हैं। प्रतिस्पर्धी समाज में व्यक्ति मजबूरी में रहता है। इसलिए उसकी भावनाओं का विकास नहीं होता है। एक आदर्श समाज में विपरीत स्थिति बनी रहती है। हर कोई इसमें अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य पूर्ण होंगे, लोक कार्य लोकतान्त्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। इसे नियमित प्रशासनिक कार्य माना जाएगा। व्यक्ति प्रेम से एक-दूसरे की सेवा करके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। फ्यूरी ने छोटे परिवार को सम्मानित किया। हर जगह प्रेम की भावना पैदा करनी चाहिए। श्रम विभाजन स्वैच्छिक और सामूहिक शिक्षा होगा, सामुदायिक जीवन सुख-समृद्धि से भरा रहेगा। फ्यूरी का मत था कि महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर संस्कारी पीढ़ी का निर्माण करना आवश्यक है। नारीवाद के बाद से, महिलाओं को मानसिक और बौद्धिक दोनों क्षमताओं में पुरुषों के बराबर होना चाहिए। महिलाओं को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। फ्यूरी के अनुसार, जब तक समाज में आर्थिक समानता नहीं होगी, समाज का विकास नहीं होगा। पैसे की तुलना काम से करनी चाहिए। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अमीरों के अधिकारों के बिना कोई वर्ग संघर्ष नहीं होगा। फूरियर के विचारों से प्रेरित होकर, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम सिद्धांत को पवित्र माना जाता था। मानव शरीर आत्मा की शक्ति से नियंत्रित होता है। इच्छाशक्ति से शारीरिक रोग दूर होते हैं। ओवेन और उपयोगितावादी की तरह, फूरिए की राय थी कि बुरी प्रवृत्तियां मानव प्रकृति का उपहार नहीं थीं बल्कि सामाजिक प्रवृत्ति द्वारा बनाई गई थीं। फ्यूरी का मत था कि समाज को नारीवाद की बजाय बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त किया जाना चाहिए। फूरिए ने कल्पनाशील विचारों को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि अपनी निजी संपत्ति को खत्म करके हर जगह एक सरकारी समुदाय बनाना आवश्यक था। इस प्रकार फ्रांसो मैरी चार्ल्स फूरिए ने महिलाओं और परिवार पर अपने विचार व्यक्त किए।

जब तक स्त्री संसार के एक छोटे से घेरे में बंधी थी, तब तक उसका काम उसके प्राकृतिक गुणों पर आधारित था। महिलाओं की शिक्षा का अतीत में बहुत विरोध हुआ था क्योंकि उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। विचार-संस्कृति जिनका पुरुष अभ्यास नहीं कर सकते थे, सभी चीजों को महिलाओं पर बाध्यकारी बना दिया गया था। हालांकि, ऐसे लोगों को समय के साथ अंत में झुकना होगा। वर्तमान के प्रभाव ने महिलाओं के जीवन के क्षेत्र का भी विस्तार किया है। इसलिए, उन्हें आत्मरक्षा और आत्म-सम्मान के लिए बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए स्त्री शिक्षा की समस्याएँ शीघ्र ही दूर हो गई, शिक्षा स्त्रियों का श्रंगार बन गई। निरक्षरता को शर्मनाक माना जाने लगा। इसलिए, विवाह बाजार में, पहले की तरह, उसका गृहकार्य कौशल महत्वपूर्ण नहीं हुआ और उसका मूल्य उसके ज्ञान पर आधारित होने लगा। घर से ही वह समाज के बारे में सोचने लगी। जैसे ही पूर्व पार्थिव रूप को सूर्य की किरणों ने स्पर्श किया, वह मुक्त हो गया और स्त्री की तरह उसकी महिमा और वैभव भी शुरू हो गया। हालांकि अतीत के दमनकारी बंधन पूरी तरह से नहीं टूटे हैं, वे झरझरा हो गए हैं। यही वजह है कि आज महिलाएं हर जगह आगे बढ़ रही हैं। वह उस रूप में जानती थी कि उसे नए युग की जिम्मेदारी स्वीकार करनी है।

संदर्भ

१ देशपांडे वेशाली, ग्रीवाद आणि महिला उपन्यासकार, विकास प्रकाशन, कानपूर,२००७.

२ शर्मा पी.डी., महिला सशक्तीकरण और नारीवाद, रावत पब्लिकेशन, जयपूर,२०१७.

३ पांडे अशोक, मार्क्सवादके मुलभूत सिद्धांत, राजपाल सन्स, दिल्ली, २०२१.